न्यायालय आदेश दिन.—31-12-2012

न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, सदर, फिरोजाबाद।

वाद संख्या 16/2012–13 धारा–143 ज0वि0 अधिनियम

श्रीमती ममता विद्यालय नेपई द्वारा प्रबन्धक प्रवीन कुमार उपाध्याय

बनाम

उ0प्र0 सरकार

मौजा–नेपई तहसील व जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

श्रीमती ममता विद्यालय नेपई द्वारा प्रबन्धक श्री प्रवीन कुमार उपाध्याय पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय नि0 तिलक नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित किया गया है कि प्रार्थी मौजा नेपई स्थित खाता संख्या 241 के गाटा संख्या 798/9 रकबा 1.189 है0 लगानी 29.40 रू0 सालाना के 2/3 भाग भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन आदि नही हो रहा है। उक्त आराजी को आबादी प्रयोजन हेतु आबादी घोषित किये जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार सदर से करायी गई। तहसीलदार सदर फिरोजाबाद द्वारा मौके की जाँच कर अपनी आख्या निर्धारित प्रारूप पर न्यायालय को उपलब्ध करायी गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी मौजा नेपई स्थित खाता संख्या 241 के गाटा संख्या 798/9 रकबा 1.189 है0 लगानी 29.40 रू0 सालाना के 2/3 भाग अर्थात् 0.792है0 भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि नही हो रहा है। भूमि आबादी के प्रयोजन में आ रही है। ज0वि0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैने वादी को सुना एवन् पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फिरोजाबाद की आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थी मौजा नेपई स्थित खाता संख्या 241 के गाटा संख्या 798/9 रकबा 1.189 है0 लगानी 29.40 रू0 सालाना के 2/3 भाग अर्थात् 0.792है0 लगानी 19.60 रू0 सालाना भूमि के स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। उक्त भूमि पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य कृषि, बागवानी, कुक्कट पालन व मत्स्य पालन आदि से भिन्न है। अतः उक्त आराजी को ज0वि0 अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी मौजा नेपई स्थित खाता संख्या 241 के गाटा संख्या 798/9 रकबा 1.189 है0 लगानी 29.40 रू0 सालाना के 2/3 भाग अर्थात् 0.792है0 लगानी 19.60 रू0 सालाना भूमि आबादी/अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वह उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित करें तथा एक प्रति उप निबन्धक फिरोजाबाद को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक अनुपालन दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 31.12.2012

(रामशंकर)
असि0कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी,सदर,
फिरोजाबाद।

RKF/RCF/SRF/3 ... 2/30

1 क्रम संख्या......81-30

2. प्रार्थना पत्र देने की तिथि......31-12-2012

3 प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम......[illegible]

4. स्टाम्प अंकित......[illegible]

5. प्रतिलिपि देने की तिथि......31-12-2012

6 शब्दों की संख्या......300/-

प्रतिलिपिक के हस्ताक्षर......[illegible]

31-12-2012

सत्य-प्रतिलिपि

अहलमद / रीडर

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट

सदर, फिरोजाबाद

31-12-2012